डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

1. सियाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद
2 रामहरी पुत्र द्वारिका प्रसाद
3 कृष्ण कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद
4. विष्णु पुत्र द्वारिका प्रसाद
5 मु. रामेश्वरी बेवा केदार
6 सिद्दार्थ पुत्र केदार
7 बद्रीप्रसाद पुत्र भौरीलाल
8 रामेश्वर पुत्र भौरीलाल
समस्त जाति ब्राहाण निवासी महमदपुर तह0 टोडाभीम

वादीगण

बनाम

1 लखनलाल पुत्र रामदयाल
2 मु. सरवती बेवा रमनलाल
3 भजन पुत्र भागीरथ
4 कैलाश पुत्र भागीरथ
5 अशोक पुत्र भागीरथ
6 नमोनारायण पुत्र भागीरथ
7 हरिओम पुत्र भागीरथ
8 मु. उषा बेवा छगन
9 नरेन्द्र पुत्र छगन
10 सुरेन्द्र पुत्र छगन
11 रामकिशोर पुत्र किरोडी
12 किशन पुत्र किरोडी
13 पूरनमल पुत्र किरोडी
14 रामभरोसी पुत्र जगन
15 राधारमन पुत्र जगन
16 रामनिवास पुत्र नेतराम
17 केशव पुत्र नेतराम
18 गोविन्द पुत्र नेतराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
19 तहसीलदार तहसील टोडाभीम जला करौली राज0।
20 सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 12/09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अत ग्राम महमदपुर की हाल आराजी ख0न0 1550 रकवा 0.62 है0 मे से 0.32 है0 के, 1551 रकवा 1.26 है0 मेसे 0.50 है0 के, 1557 रकवा 0.59 है0 मेसे 0.28 है0 के, 1558 रकवा 0.09 है सम्पूर्ण के, 1559 रकवा 0.27 है0 मेसे 0.16 है0 के, 1560 रकवा 0.48 है0 मेसे 0.16 है0 के वादी न0 1 ता 6 हिस्सा 1/3, वादी न0 7 हिस्सा 1/3 व वादी न0 8 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इस रकवे की आराजीयात मेसे प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे। साबिक ख0न0 764 रकवा 12 बिस्वा से बने नवीन ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 विक्रीत होकर वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 173 मे खातेदारी ब्रहमसिंह गूर्जर के नाम हो चुकी है। इस कारण से ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 की खातेदारी वादीगण को नही दी जा सकती है, वादीगण ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 के बावत सक्षम न्यायालय से रिलीफ प्राप्त कर सकते है।

निज......................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2020 को जारी की गई।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

28/2/2020

दस्तखत उपजिला कलक्टर
ओहदा टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु. नं. : 12/2009 तारीख रजू:– 22.01.2009

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

1 सियाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद
2 रामहरी पुत्र द्वारिका प्रसाद
3 कृष्ण कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद
4. विष्णु पुत्र द्वारिका प्रसाद
5 मु. रामेश्वरी बेवा केदार
6 सिद्वार्थ पुत्र केदार
7 बद्रीप्रसाद पुत्र भौरीलाल
8 रामेश्वर पुत्र भौरीलाल
समस्त जाति ब्राहाण निवासी महमदपुर तह0 टोडाभीम

वादीगण

बनाम

1 लखनलाल पुत्र रामदयाल
2 मु. सरवती बेवा रमनलाल
3 भजन पुत्र भागीरथ
4 कैलाश पुत्र भागीरथ
5 अशोक पुत्र भागीरथ
6 नमोनारायण पुत्र भागीरथ
7 हरिओम पुत्र भागीरथ
8 मु. उषा बेवा छगन
9 नरेन्द्र पुत्र छगन
10 सुरेन्द्र पुत्र छगन
11 रामकिशोर पुत्र किरोडी
12 किशन पुत्र किरोडी
13 पूरनमल पुत्र किरोडी
14 रामभरोसी पुत्र जगन
15 राधारमन पुत्र जगन
16 रामनिवास पुत्र नेतराम
17 केशव पुत्र नेतराम
18 गोविन्द पुत्र नेतराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
19 तहसीलदार तहसील टोडाभीम जला करौली राज0।
20 सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता

1 श्री सुरेश चन्द शर्मा वादीगण की ओर से
2. मनोज कुमार शर्मा प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 28.02.2020

दावे के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार कि साबिक आराजी खं0 न0 753 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा खं0 न0 754 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खं0 न0 755 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खं0 न0 756 रकबा 7 बिस्वा, खं0 न0 757 रकबा 15 बिस्वा, खं0 न0 758 रकबा 2 बिस्वा, खं0 न0 759 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खं0 न0 760 रकबा 7 बिस्वा,

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

खं0 न0 761 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खं0 न0 762 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खं0 न0 763 रकबा 8 बिस्वा, खं0 न0 764 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा ग्राम महमदपुर तह0 टोडाभीम में स्थित है। तथा खं0 न0 980 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खं0 न0 100 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा ग्राम महमदपुर तह0 टोडाभीम में स्थित है। उक्त आराजी के बाबत एक मुकदमा उनवानी रामदयाल आदि बनाम भौरीलाल मु. नं0 55/1971 न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन के यहॉ चला था। जिसमें वादीगण बुजुर्ग भौरीलाल प्रतिवादी थे तथा प्रतिवादी के बुजुर्ग रामदयाल, भागीरथ, नेतराम, जगन व किरोडी वादीगण थे। उपरोक्त मुकदमा रामदयाल बनाम भौरीलाल न्यायालय उपजिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 14.10.1974 को डिक्री करते हुये 5 सिडयूल बनाते समय सिडयूल नम्बर 1 प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता तथा प्रतिवादी नम्बर 2 के ससुर रामदयाल प्रतिवादी नं0 3 ता 7 के पिता 8 के ससुर 9, 10 के बाबा भागीरथ को खं0 न0 754/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 755/1 रकबा 5 बिस्वा , 756 रकबा 7 बिस्वा, 757/1 रकबा 6 बिस्वा, खं0 न0 100/2 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, 980/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 7 बीधा 11 बिस्वा, सिडयूल नं0 2 प्रतिवादी नं0 16, 17, 18, के पिता नेतराम को खं0 न0 753/3 रकबा 11 बिस्वा, 754/2 रकबा 10 बिस्वा 758/5 रकबा 18 बिस्वा, खं न0 759/2 रकबा 1 बीघा , 761/1 रकबा 8 बिस्वा कुल 3 बीघा 7 बिस्वा, सिडयूल नम्बर 3 प्रतिवादी नं0 14, 15 के पिता जगन को खं0 न0 753/2 रकबा 12 बिस्वा, 754/3 रकबा 9 बिस्वा, 762/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 763 रकबा 8 बिस्वा, 764 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 बीघा 7 बिस्वा सिडयूल 4 प्रतिवादी नं0 11, 12, 13, के पिता किरोडी खं0 न0 755/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 757 रकबा 9 बिस्वा, 759 रकबा 5 बिस्वा, 100/1 रकबा 4 बीधा 5 बिस्वा, 980/1 रकबा 1 बीधा 6 बिस्वा, कुल 7 बीधा 11 बिस्वा, शेष आराजी सिडयूल 5 उपरोक्त मुकदमा के वादीगण के बुजुर्ग भौरीलाल रहेगे जो खं0 न0 753/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 754/4 रकबा 2 बीघा, 759/3 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खं0 न0 760/1 रकबा 7 बिस्वा, 761/2 रकबा 13 बिस्वा, 762/1 रकबा 13 बिस्वा, 764 रकबा 12 बिस्वा कुल 6 बीघा 13 बिस्वा तथा खं0 न0 758 रकबा 2 बिस्वा इस प्रकार कुल 6 बीघा 15 बिस्वा रहेगा।

उपरोक्त डिकी के अनुसार नामान्तकरण संख्या 356 के अनुसार प्रतिवादीगण के बुजुर्ग जगन पुत्र कुंजीराम, नेतराम पुत्र कुन्जीराम, रामदयाल, भागीरथ पुत्र सुखचन्द तथा किरोडी पुत्र जौहरी के नाम खोला गया जो जमावंदी संम्वत 2028 से 2031 में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2032 ता 2035 में नामान्तकरण संख्या 356 के आधार पर प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम सिडयूलो के नाम पर खातेदारी दर्ज कर दी तथा शेष आराजी जो सिडयूल 5 में दर्ज थी। वादीगण के बुजुर्ग भौरीलाल के खातेदारी की थी बिना किसी अधिकार व आदेश के सम्वत 2032 से 2035 की जमाबन्दी वादीगण के बुजुर्ग भौरीलाल के साथ साथ रामदयाल पुत्र सुखचन्द किरोडी पुत्र जौहरी का नाम जोड दिया जिसे वादीगण हटवाने के हकदार है। सिडयूल 5 के साबिक नम्बरान 753/1 रकवा 1 बीधा 6 बिस्वा से नवीन ख0न0 1550 रकवा 0.59, 754/4 रकवा 2 बीधा से नवीन ख0न0 1551 रकवा 1.26 है0, 759/3 रकवा 1 बीधा 2 बिस्वा से नवीन ख0न0 1557 रकवा 0.59, 760 रकवा 7 बिस्वा से नवीन ख0न0 1558 रकवा 0.09, 761/2 रकवा 13 बिस्वा से नवीन ख0न0 1559 रकवा 0.27, 762/1 रकवा 13 बिस्वा से नवीन ख0न0 1560 रकवा 0.48, 764 रकवा 12 बिस्वा से नवीन ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये है।

खं0 न0 1550 में से 10 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 14, 15 के पिता जगन, 12 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 16, 17, 18 के पिता नेतराम का 10 बिस्वा तथा समस्त वादी व प्रतिवादी 1 ता 18 के स्वयं या बुजुर्गो के नाम 1 बीघा 6 बिस्वा , खं0 न0 1551 में प्रतिवादी नम्बर 14, 15 के पिता जगन का 9 बिस्वा प्रतिवादीगण नं0 16, 17, 18 के पिता नेतराम के नाम 1 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादी नं0 1 ता 10 के बुजुर्ग रामदयाल भागीरथ का 1 बीघा 2 बिस्वा तथा शेष 2 बीघा भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 18 स्वयं या उनके बुजुर्ग के नाम खं0 न0 1557 में प्रतिवादी नं0 11, 12, 13 के नाम 5 बिस्वा प्रतिवादी 16, 17, 18 के नाम 1 बीघा तथा शेष हिस्सा 1 बीघा 2 बिस्वा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादीगण प्रतिवादी नं0 1 ता 18 स्वयं या उनके बुजुर्गो के नाम तथा ख0 न0 1558, 1556, 1562/232 वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 18 के स्वयं या उनके बुजुर्गो के नात ख0 न0 1559 की खातेदारी प्रतिवादी नं0 16, 17, 18 के पिता नेतराम 8 बिस्वा तथा शेष 13 बिस्वा सम्मात वादीगण व प्रतिवादीगण के स्वयं के या बुजुर्गो के नाम तथा ख0 न0 1560 में प्रतिवादीगण नं0 15, 15 के पिता जगन के नाम 1 बीघा 6 बिस्वा तथा शेष 13 बिस्वा जमीन वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 18 के स्वयं के नाम या उनके बुजुर्ग के नाम खातेदारी में अंकित है। जबकि सिडयूल 5 के मुताबिक आराजी ख0 न0 1550 का रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख0 न0 1551 का रकबा 2 बीघा, 1557 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0 न0 1559 रकबा 13 बिस्वा, ख0 न0 1560 रकबा 13 बिस्वा, तथा ख0 न0 1556, 1558, 1562/232 सम्पूर्ण की खातेदारी वादीगण के नाम होनी चाहिये इसलिये वादीगण सिडयूल 5 के हिस्से में आयी खातेदारी में से प्रतिवादी का नाम हजफ कराने के हकदार है। मौके पर बाहमी बंटवारा हो रहा है। तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज है। तथा मौके पर कोई विवाद नही है। लेकिन वादीगण के हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण का नाम है। इसलिये प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति उत्पन्न हो गयी है। सायलान द्वारा दिनांक 02.01.2009 को उनके हिस्से की खातेदारी कराने को कहा तो उन्होने मना कर दिया इसलिये वाद पत्र पेश किया कि प्रतिवादीगण व वादीगण के हिस्से का बेचान रहन नही करे तथा वादीगण को बेदखल नही करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिसे सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण 14 से 19 बाबवजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 13 की ओर से मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी न0 14 ता 18 की और से जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 07 जा0दी0 पेश करने पर बाद सुनवाई यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुयें इनके विरूद्व की गई एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 18 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया की वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही बुजुर्ग की सन्तान होना स्वीकार है सजरा गलत पेश किया है सजरा में बिहारी को दत्तक पुत्र बताया गया है जबकि भौरीलाल बिहारी का दत्तक पुत्र नही है। तथा बिहारी बडा होने की वजह से कुन्जा, सूखचन्द, व जौहरी तीनो ने मिलकर सेवा की थी। तथा बिहारी के लाऔलाद फौत होने के पश्चात बिहारी के हिस्से की जमीन कुन्जा व सुखचन्द व जौहरी तीनो में बराबर बराबर बट गई। भौरीलाल का बिहारी के हिस्से की जमीन में अकेला का कोई हिस्सा नही है। भौरीलाल कुन्जा का बडा लडका था। उक्त सजरे में रामेश्वरी को रामहरी के बेवा व सिद्वार्थ को रामहरी का पुत्र बताया है जो गलत है। रामेश्वरी केदार की पत्नि है सिद्वार्थ केदार का पुत्र है। मुकदमा रामदयाल बनाम भौरीलाल मुकदमा नं0 55/1971 न्यायालय एस डी ओ हिण्डौन सिटी में चलने तथा दिनांक 14.10.1974 को डिक्री होना जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। तथा उक्त मुकदमें में सिडयूल 1 ता 5 कायम किये है। वे भी जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। उक्त डिकी को 42 साल अरसा हो चुका है। सिडयूल नं0 5 वादीगण के बुजुर्ग भौरीलाल के हक में नही होकर प्रतिवादी नं0 1 ता 18 के बुजुर्ग रामदयाल भागीरथ किरोडी जगन व नेतराम का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावे के अधिकतम मदो को अस्वीकार करते हुऐ। विशेष विवरण में अंकित किया की वादीगण के परबाबा भौरीलाल बचपन में ही ग्राम कटकड में गोद चले गये थे। और बचपन से ही ग्राम कटकड में निवास कर रहे है। तथा ग्राम कटकड मे जमीन व पुक्ता मकान है। वादी नं0 1 कोटा में रहता है। रामहरी मुस्मात रामेश्वरी व सिद्वार्थ दिल्ली रहते है। रामेश्वर कटकड में रहता है। तथा बद्रीप्रसाद कोटा रहता है वादीगण का आराजी पर कब्जा कास्त नही है। मु0 न0 55/71 उनवानी रामदयाल बनाम भौरीलाल दिनांक 14.10.74 को फर्जी तरीके से डिकी करवाया है जो खिलाफ प्रतिवादीगण 1 ता 18 नल एण्ड बोइड है। बुजुर्गो के मरने के पश्चात अपने नाम खातेदारी कराना चाहते है। विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है दावा खारिज फरमाया जावे।

निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः-

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

1. आया यह है कि मुतजिका मद न0 1 के वर्णित आराजीयात बावत एक मुकदमा उनवानी रामदयाल आदि बनाम भौरीलाल मु0न0 55/71 एस.डी.ओ कोर्ट हिण्डौन मे चला था उपरोक्त मुकदमा 14.10.74 को सिडयूल अनुसार डिक्री किया गया था। इस डिक्री के अनुसार ना0स0 356 प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम खोला गया। जमाबन्दी सम्वत 2028–31 मे अंकन मे साबित है।

(जिम्मेवादीगण)

2. आया यह है कि जमाबन्दी सम्वत 2032–35 तेयार करते समय नामांतकरण सख्या 356 के आधार पर प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम सिडयूलो के अनुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर दी, किन्तु शेष आराजी जो सिडयूल 5 मे अंकित थी मे वादीगण के बजुर्ग भौरीलाल के साथ रामदयाल पि. सुखचन्द, किरोडी पुत्र जौहरी का नाम गलत दर्ज कर दिया। सिडयूल 5 मे दर्ज साबिक ख0न0 से बने नवीन ख0न0 1550/0.59, 1551/1.26, 1557/0.59, 1558/0.09, 1559/0.27, 1560/0.48, 1562/0.15 है0 वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

(जिम्मेवादीगण)

3. आया यह है कि वादीगण का दावा डिक्री कराकर खातेदारी घोषित कराने तथा मौके पर काबिज कब्जे काश्त की भूमि मे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

(जिम्मेवादीगण)

4. आया यह है कि वादीगण ने सजरा गलत पेश किया है, बिहारी लाऔलाद फौत हुआ है भौरी लाल बिहारी का दत्तक पुत्र नही है। बिहारी की जमीन कुन्जा, सुखचन्द, जौहरी के नाम बराबर–बराबर बट गई। भौरीलाल का बिहारी की जमीन मे अकेले कोई हिस्सा नही है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

5. आया यह है कि प्रतिवादीगण को बयउनवानी मुकदमा रामदयाल बनाम भौरीलाल मु0न0 55/71 न्यायालय एस.डी.ओ. कोर्ट मे चलने की जानकारी नही है नाही बुजर्गो ने बताया है। डिक्री तारीखी 14.10.74 की उज्रदारी करीब 42 वर्ष पश्चात कराना चाहते है। वादीगण के बजुर्ग अपने जीवनकाल मे ही इजराय पेश कर रिकार्ड मे इन्द्राज करा सकते थे।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

6. आया यह है कि सिडयूल न0 5 का वादीगण के बजुर्ग भौरीलाल के हक मे नही होकर प्रतिवादी न0 1 ता 18 के बुजुर्ग रामदयाल, भागीरथ, किरोडी, जगन, नेतराम का नाम राजस्व रिकार्ड मे सही दर्ज है। सम्वत 2032–35 तथा भू–प्रबन्ध के बाद बने नवीन खसरा नम्बरान पर प्रतिवादीगण का कब्जा है दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

7. आया यह है कि वादीगण के बजुर्ग भौरीलाल बचपन मे ही कटकड मे गोद चले गये, बचपन से ही ग्राम कटकड मे ही निवास कर रहे है वादीगण ग्राम महमदपुर मे निवास ही नही करते है। विवादित आराजीयात पर वादीगण के बुजुर्गान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है कब्जे के अभाव मे दावा चलने योग्य नही है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

8. आया यह है कि बिहारी के लाऔलाद फौत होने से पूर्व अपने जीवन काल मे ही अपने हिस्से की भूमि कुन्जा, सुखचन्द, जौहरी को मौखिक संभलादी थी। वादीगण कुन्जा के वारिस है, कुन्जा के 1/3 हिस्से की भूमि मे ही अपना हिस्सा कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते है। दावा वादीगण खारिज किया जावे।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से वादपत्र के समर्थन मे न्यायालय एस.डी.ओ हिण्डौन के मु0न0 55/71 उनवानी रामदयाल आदि बनाम भौरीलाल वगै0 मे वादपत्र एवं जबाव दावा की प्रति प्रदर्श–1, न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन के मु0न0 55/71 उनवानी

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

रामदयाल आदि बनाम भौरीलाल वगै0 मे निर्णय दिनांक 14.10.1974 की प्रति प्रदर्श–2, न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन के मु0न0 55/71 उनवानी रामदयाल आदि बनाम भौरीलाल वगै0 मे डिक्री दिनांक 14.10.1974 की प्रति प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058–61 प्रदर्श–4, 5, 6, 7, 8, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–9 किता 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2032–35 प्रदर्श–10, नकल जमाबन्दी सम्वत 2032–35 प्रदर्श–11, 12, 13, नकल जमाबन्दी सम्वत 2028–31 प्रदर्श–14, तथा वादी सियाराम पी.डब्ल्यू–1 का शपथ पत्र पेश किया जिनसे प्रतिवादी वकील ने जिरह पूर्ण की।

प्रतिवादी वकील ने जबाब दावे के समर्थन मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किये है। प्रतिवादी अशोक पुत्र भागीरथ डी. डब्ल्यू–1 का शपथ पत्र पेश कर वादीगण से जिरह पूर्ण कराई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुये कथन किया कि न्यायालय एस0डी0ओ0 कोर्ट हिण्डौन के मु0न0 55/71 के सभी सिडयूल वालो का नाम आ गया किन्तु शिडयूल 5 के अनुसार भौरया के नाम आनी थी, जो नही आयी। शिडयूल 5 से प्राप्त भूमि के नये ख0न0 1550/0.59, 1551/1. 26, 1557/0.59, 1558/0.09, 1559/0.27, 1560/0.48, 1562/0.15 है0 कुल किता 7 बने है। सम्वत 2032–35 की जमाबन्दी मे दर्ज नाम ही हाल जमाबन्दी मे चले आ रहे है। इन खसरा नम्बरान मे से मेरे रकवे के मुताबिक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी वकील द्वारा पेश जबाब दावे मे वर्णित तथ्यो खण्डन करते हुये कहा कि भौरीलाल ग्राम कटकड मे गोद चला गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है कटकड मे कोई जमीन मिली हो ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है। बिहारी लाऔलाद फौत हुआ है। भौरीलाल कुन्जा के हिस्से मे ही खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि दावा मु0न0 55/71 मे उन्हे हिस्सा 1/3–1/3 मागना चाहिये था, किन्तु उन्होने ऐसा नही किया। दिनांक 14.10.1974 की डिक्री फर्जी होने के बावत कहा कि डिक्री की पालना प्रतिवादीगण के वारिसान द्वारा ही करवाई है। न्यायालय हाजा मे इस दावे को चलते हुये कई वर्ष हो गये है। यदि डिक्री फर्जी है तो अपील मे जाया जा सकता था।

प्रस्तुत प्रदर्श–2 न्यायालय एस0डी0ओ0 हिण्डौन की डिक्री फैमिली सेटलमेन्ट के आधार पर दिनांक 14.10.74 को जारी की गई है। सिडयूल न0 1 की आराजी सुखचन्द के वारिसान के सिडयूल न0 2 की आराजी नेतराम के हिस्से मे, सिडयूल न0 3 की आराजी जगन के हिस्से मे , सिडयूल न0 4 की आरजी किरोडी के सिडयूल न0 5 की आराजी रकवा 6 बीधा 13 बिस्वा भौरया के नाम हुई है। नामांतकरण संख्या 356 का अमल जमाबन्दी सम्वत 2028–31 मे करते हुये आगामी जमाबन्दीयो मे शिडयूल न0 1 ता 4 का सही रूप से अमल हो गया किन्तु सिडयूल न0 5 की आराजी की खातेदारी भौरीलाल के साथ–साथ शिडयूल न0 1 ता 4 के व्यक्तियो के नाम भी कर दी। वर्तमान नकल जमाबन्दी पेश करते हुये कथन किया कि वादी का दावा डिक्री करते हुये शिडयूल न0 5 की आराजीयात मे मिले हिस्से की जमीन के हाल बने खसरा नम्बरान मे वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी मे महाहमत मदाखलत नही करे।

प्रतिवादी वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि वर्ष 1974 की डिक्री की पालना के लिये प्रस्तुत हुई इजराय के समय आप रहे होगे, दावा आज पेश किया है। वादी सेवानिवृत्त एक्सीयन है, उनको भी इस बावत ज्ञान था, 40–42 वर्ष बाद कैसे ज्ञान आया इस बावत कैसे याद आया यह स्पष्ट नही है। बिहारी लाल की सम्पत्ति के वारिसान तीन भाई ही थे। भौरीलाल कटकड मे गोद चला गया। भौरीलाल के दो पुत्र रामेश्वर, बद्रीप्रसाद जो कटकड मे ही 70–80 वर्ष से रहते है वहॉ की सम्पत्ति भौरीलाल के नाम थी। गोद जाने पर दो जगह जमीन कैसे मिलेगी जबकि वादी ने जिरह मे कटकड मे जमीन होना स्वीकार किया है। वादी सियाराम पीडब्लयू–1 ने जिरह मे भौरीलाल को कुन्जा का पुत्र होना व सजरा गलत होना स्वीकार किया है। यह दावा सियाराम द्वारा ही पेश किया है जबकि बद्री, रामेश्वर ने प्रार्थना पत्र दिया है

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

कि हमने दावा ही नही किया, रामेश्वर दौराने दावा फौत हो गये कायम मुकाम पर नही आये। दिनांक 10.11.14 को बद्री प्रसाद द्वारा सियाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना जिरह मे इन्होने स्वीकार किया है सिडयूल 5 मे से नेतराम द्वारा कुछ जमीन भम्रसिह गूर्जर को बेचान कर दिया उसको पक्षकार नही बनाया है। भौरीलाल को आगे दत्तक पुत्र माना है भौरी लाल का कटकड मे जाना और विरासत से जमीन आना भी स्वीकार किया है। पक्षकारो मे राजीनामा हो जाने से सम्वत 2032–35 मे मुताबिक राजीनामा नाम दर्ज हुआ है क्योकि भौरीलाल कटकड गोद चले गये थे। विवादित आराजीयात पर वादीगण काबिज काश्त नही है वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः–

1. तनकी न0 1.:–आया यह है कि मुतजिका मद न0 1 के वर्णित आराजीयात बावत एक मुकदमा उनवानी रामदयाल आदि बनाम भौरीलाल मु0न0 55/71 एस.डी.ओ कोर्ट हिण्डौन मे चला था उपरोक्त मुकदमा 14.10.74 को सिडयूल अनुसार डिकी किया गया था। इस डिकी के अनुसार ना0स0 356 प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम खोला गया। जमाबन्दी सम्वत 2028–31 मे अंकन मे साबित है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है

तनकी न0 1:– नकल निर्णय व डिकी दिनांक 14.10.1974 प्रदर्श–2 व 3 के अनुसार न्यायालय एस0डी0ओ0 कोर्ट हिण्डौन से मु0न0 55/71 उनवानी रामदयाल आदि बनाम भौरीलाल दिनांक 14.10.74 को शिडयूल अनुसार डिकी होना साबित है। जमाबन्दी सम्वत 2028–31 प्रदर्श–14 के विशेष कालम मे नामांतकरण संख्या 356 के अनुसार खाते की आराजीयात रकवा 17 बीधा 5 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम हो रही है। इस प्रकार यह तनकी रिकार्ड से प्रमाणित होने से वादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2:–आया यह है कि जमाबन्दी सम्वत 2032–35 तेयार करते समय नामांतकरण सख्या 356 के आधार पर प्रतिवादीगण के बुजुर्ग के नाम सिडयूलो के अनुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर दी, किन्तु शेष आराजी जो सिडयूल 5 मे अंकित थी मे वादीगण के बजुर्ग भौरीलाल के साथ रामदयाल पि. सुखचन्द, किरोडी पुत्र जौहरी का नाम गलत दर्ज कर दिया। सिडयूल 5 मे दर्ज साबिक ख0न0 से बने नवीन ख0न0 1550/0.59, 1551/1.26, 1557/0.59, 1558/0.09, 1559/0.27, 1560/0.48, 1562/0.15 है0 वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है

तनकी न0 2:– जमाबन्दी सम्वत 2032–35 के खाता संख्या 35 प्रदर्श–10 के अनुसार 3 बीधा 7 बिस्वा की खातेदारी शिडयूल न0 3 के जगन पुत्र कुन्जीराम के नाम, जमाबन्दी सम्वत 2032–35 के खाता संख्या 4 प्रदर्श–11 के अनुसार 7 बीधा 11 बिस्वा की खातेदारी शिडयूल न0 4 के किरोडी पुत्र जौहरी के नाम, जमाबन्दी सम्वत 2032–35 के खाता संख्या 77 प्रदर्श–12 के अनुसार 3 बीधा 7 बिस्वा की खातेदारी शिडयूल न0 2 के नेतराम पुत्र कुन्जीराम के नाम जमाबन्दी सम्वत 2032–35 के खाता संख्या 130 प्रदर्श–13 के अनुसार 6 बीधा 15 बिस्वा की खातेदारी जगन, भौरया, नेतराम पि0 कुन्जा, रामदयाल, भागीरथ पि0 सुखचन्द, किरोडी पुत्र जौहरी ब्राहामण निवासी ग्राम के नाम दर्ज है। न्यायालय एस0डी0ओ0 कोर्ट हिण्डौन के मु0न0 55/71 उनवानी रामदयाल आदि बनाम भौरीलाल दिनांक 14.10.74 को शिडयूल 5 के अनुसार खातेदारी भौरीलाल दत्तक पुत्र बिहारी लाल जाति ब्राहामण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। सिडयूल न0 5 की आराजी के साबिक नम्बरान 753/1 रकवा 1 बीधा 6 बिस्वा से नवीन ख0न0 1550 रकवा 0.59, 754/4 रकवा 2 बीधा से नवीन ख0न0 1551 रकवा 1.26 है0, 759/3 रकवा 1 बीधा 2 बिस्वा से नवीन ख0न0 1557 रकवा 0.59, 760 रकवा 7 बिस्वा से नवीन ख0न0 1558 रकवा 0.09, 761/2 रकवा 13 बिस्वा से

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

नवीन ख0न0 1559 रकवा 0.27, 762/1 रकवा 13 बिस्वा से नवीन ख0न0 1560 रकवा 0.48, 764 रकवा 12 बिस्वा से नवीन ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 बनना मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–9 से प्रमाणित है। भौरया के वारिसान वादीगण को सिडयूल न0 5 के मुताबिक ख0न0 751/1 रकवा 1 बीधा 6 बिस्वा रकवा के नवीन बने ख0न0 1550 रकवा 0.62 है0 मे से 0.32 है0, 754/4 रकवा 2 बीधा रकवे के नवीन बने ख0न0 1551 रकवा 1.26 है0 मे से 0.50 है0, 759/3 रकवा 1 बीधा 2 बिस्वा रकवे से बने नवीन ख0न0 1557 रकवा 0.59 है0 मेसे 0.28 है0, ख0न0 760 रकवा 7 बिस्वा रकवे से बने नवीन ख0न0 1558 रकवा 0.09 है0, ख0न0 761/2 रकवा 13 बिस्वा रकवे से बने 1559 रकवा 0.27 है0 मेसे 0.16 है0, 762/1 रकवा 13 बिस्वा रकवे से बने नवीन ख0न0 1560 रकवा 0.48 है0 मेसे 0.16 है0 भूमि साबिक रकवे के बराबर मिल सकती है, साबिक ख0न0 764 रकवा 12 बिस्वा से बना नवीन ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 का विक्रय हो गया है। इस प्रकार यह तनकी रिकार्ड से प्रमाणित होने से वादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3 :–आया यह है कि वादीगण का दावा डिक्री कराकर खातेदारी घोषित कराने तथा मौके पर काबिज कब्जे काश्त की भूमि मे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है

तनकी न0 3:– तनकी न0 1 व 2 के निर्णय के विवेचन के अनुसार वादी शिडयूल न0 5 मे वर्णित आराजी रकवा 6 बीधा 13 बिस्वा के बराबर रकवा की खातेदारी नवीन खसरा नम्बरान मे से कराने का हकदार है। तथा इस भूमि के कब्जेकाश्त मे व्यवधान नही करने के लिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार होने से यह तनकी वादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 4:– आया यह है कि वादीगण ने सजरा गलत पेश किया है, बिहारी लाऔलाद फौत हुआ है भौरी लाल बिहारी का दत्तक पुत्र नही है। बिहारी की जमीन कुन्जा, सुखचन्द, जौहरी के नाम बराबर–बराबर बट गई। भौरीलाल का बिहारी की जमीन मे अकेले कोई हिस्सा नही है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है

तनकी न0 4:– प्रतिवादी वकील ने तनकी के समर्थन मे किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नही किया है अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 5 :–आया यह है कि प्रतिवादीगण को बयउनवानी मुकदमा रामदयाल बनाम भौरीलाल मु0न0 55/71 न्यायालय एस.डी.ओ. कोर्ट मे चलने की जानकारी नही है नाही बुजर्गो ने बताया है। डिक्री तारीखी 14.10.74 की उज्रदारी करीब 42 वर्ष पश्चात कराना चाहते है। वादीगण के बजुर्ग अपने जीवनकाल मे ही इजराय पेश कर रिकार्ड मे इन्द्राज करा सकते थे।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है

तनकी न0 5:– न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के मु0न0 55/71 उनवानी रामदयाल वगै0 बनाम भौरीलाल मे दिनांक 14.10.1974 को पारित डिक्री की जानकारी प्रतिवादीगण जो कि न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन मे वादीगण थे को जानकारी रही है। क्योकि इन्होने ही निर्णय की इजराय करवाई गई है। इस प्रकार यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 6:– आया यह है कि सिडयूल न0 5 का वादीगण के बजुर्ग भौरीलाल के हक मे नही होकर प्रतिवादी न0 1 ता 18 के बुजुर्ग रामदयाल, भागीरथ, किरोडी, जगन, नेतराम का नाम राजस्व रिकार्ड मे सही दर्ज है। सम्वत 2032–35 तथा भू–प्रबन्ध के बाद बने नवीन खसरा नम्बरान पर प्रतिवादीगण का कब्जा है दावा खारिज योग्य है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है।

तनकी न0 6:– इस तनकी का विस्तृत विवेचन तनकी न0 1 के निर्णय मे किया गया है।

तनकी न0 7:– आया यह है कि वादीगण के बजुर्ग भौरीलाल बचपन मे ही कटकड मे गोद चले गये, बचपन से ही ग्राम कटकड मे ही निवास कर रहे है वादीगण ग्राम महमदपुर मे निवास ही नही करते है। विवादित आराजीयात पर वादीगण के बुजुर्गान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है कब्जे के अभाव मे दावा चलने योग्य नही है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है।

तनकी न0 7:– प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली मे पेश नही किया कि वादीगण के बजुर्ग भौरीलाल बचपन मे ही ग्राम कटकड मे गोद चले गये हो और वही निवास करते हो, तथा यह भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये है कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त हो। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी न0 8 :–आया यह है कि बिहारी के लाऔलाद फौत होने से पूर्व अपने जीवन काल मे ही अपने हिस्से की भूमि कुन्जा, सुखचन्द, जौहरी को मौखिक संभलादी थी। वादीगण कुन्जा के वारिस है, कुन्जा के 1/3 हिस्से की भूमि मे ही अपना हिस्सा कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते है। दावा वादीगण खारिज किया जावे।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है।

तनकी न0 8:– प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि बिहारी के लाऔलाद फौत होने से पूर्व अपने जीवनकाल मे ही अपने हिस्से की आराजी कुन्जा, सुखचन्द, जौहरी को मौखिक रूप से संभलादी हो, एवं ऐसा भी कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये है कि वादीगण कुन्जा के वारिस हो और उन्हे कुन्जा के हिस्से की भूमि प्राप्त हुई हो। अतः साक्ष्य के अभाव मे यह तनकी खिलाफ प्रवितादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी वार निर्णय के अनुसार वादीगण का दावा डिक्री योग्य होने से डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

अत ग्राम महमदपुर की हाल आराजी ख0न0 1550 रकवा 0.62 है0 मे से 0.32 है0 के, 1551 रकवा 1.26 है0 मेसे 0.50 है0 के, 1557 रकवा 0.59 है0 मेसे 0.28 है0 के, 1558 रकवा 0.09 है सम्पूर्ण के, 1559 रकवा 0.27 है0 मेसे 0.16 है0 के, 1560 रकवा 0.48 है0 मेसे 0.16 है0 के वादी न0 1 ता 6 हिस्सा 1/3, वादी न0 7 हिस्सा 1/3 व वादी न0 8 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इस रकवे की आराजीयात मेसे प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे। साबिक ख0न0 764 रकवा 12 बिस्वा से बने नवीन ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 विक्रीत होकर वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 173 मे खातेदारी ब्रहमसिंह गूर्जर के नाम हो चुकी है। इस कारण से ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 की खातेदारी वादीगण को नही दी जा सकती है, वादीगण ख0न0 1562 रकवा 0.15 है0 के बावत सक्षम न्यायालय से रिलीफ प्राप्त कर सकते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 14:57:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: